

कार्य को जमाने का आदेश किया जा रहा है।
 जमाने की जाने का आदेश किया जा रहा है।
 विपरीत की ओर से जवाबी बहस में
 कथन किया कि वर्ष 2022 में ही
 कार्य को वाणिज्यिक कानून से
 आवेदन किया गया था, जो व्यास
 सदन पर विचारार्थ है। इस निर्णय
 में पुनर्विचारों द्वारा कार्य को
 गैर-कृषि कार्य से कानून से
 सहाय प्रयास किये जाये हैं जिन्हें
 दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पेश
 की जाये है। अतः प्रार्थना पत्र के
 अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना को कानून
 से अवसर प्रदान किया जाये। दोनों में
 मौखिक बहस हुई जाकर पत्रावली
 आईदा दिनांक 18/06/2024 को
 वास्तु निर्णय पेश हो।

वीरेश्वर
 सहायक कलेक्टर
 आधुरोड (सिरौही)

18/6/24

जमाने की प्रार्थना
 जमाने का आदेश मस 1/2024 R.A. के अंतर्गत
 अस्वीकार किया जाता है कि न्याय
 प्रणाली में लिये जाये कि न्याय
 प्रणाली में लिये जाये कि न्याय
 प्रणाली में लिये जाये कि न्याय

वीरेश्वर
 सहायक कलेक्टर
 आधुरोड (सिरौही)